(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/4877 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 116/अपील/2016-17.

---

1. संतोष
2. अशोक कुमार पुत्रगण श्री करण सिंह,
   निवासी कृषकगण ग्राम मालीखेड़ी
   तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. कमल सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह
3. कैलाश नारायण पुत्र रामनारायण
   निवासीगण मालीखेड़ी, तहसील आष्टा,
   जिला सीहोर, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री देवेन्द्र चौबे, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

श्री एस.के. बाजपेयी व मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण, अनावेदक क्र. 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 13.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मालीखेड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 39 रकबा 8.114 हैक्टेयर के भाग रकबा 5.500 हैक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार, आष्टा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-68/2016-17 में पारित आदेश 09.12.2016 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.11.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1949 में आवेदकगण के बाबा/दादा (आवेदकगण के पिता के पिता स्व. करण सिंह के पिता) स्व. श्री कल्जी आ. गोदड को बंटवारे के माध्यम से प्राप्त हुई थी, तब से लेकर वर्ष 1951 तक आवेदकगण के दादा के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में उक्त कृषि भूमि रही है, जिसका इन्द्राज वर्ष 1951 तक राजस्व रिकॉर्ड में रहा है।

(2) आवेदकगण के दादा स्व. कल्जी का निधन होने के उपरांत उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि फोती नामांतरण में पंजी क्रमांक 68 दिनांक 10.05.1951 जिसका प्रमाणीकरण दिनांक 25.05.1951 को किया गया, जिससे उक्त कृषि भूमि आवेदकगण के पिता करण सिंहके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। इस प्रकार आवेदकगण के बाबा कल्जी के निधन के उपरांत आवेदकगण के पिता उक्त कृषि भूमि के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी रहे हैं।

(3) उक्त कृषि भूमि पर आवेदकगण के बाबा वर्ष 1949 से 1951 तक कृषि कार्य करते रहे हैं, इसके उपरांत आवेदकगण के पिता वर्ष 1951 से वर्ष 1994 तक कृषि कार्य करते रहे हैं।

(4) उक्त कृषि भूमि पर वर्ष 1995 तक आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा है तथा वर्ष 2005 तक खसरे के कॉलम नं. 12 में आवेदकगण का नाम दर्ज रहा है, इससे यह तथ्य पूर्णत: प्रमाणित होता है कि विवादित

कृषि भूमि आवेदकगणों की पैतृक संपत्ति होकर पूर्वजों के वारिस होने के आधार पर प्राप्त हुई है।

(5) तहसीलदार द्वारा एकाएक उक्त कृषि भूमि शासकीय होने के आधार पर अतिक्रमणकारी होना मानते हुए आवेदकगणों की गैर मौजूदगी में पटवारी से सीमांकन कराया जाकर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गई, जिसके संबंध में आवेदकगण द्वारा अपनी आपत्तियां तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई।

(6) तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर मनमाने रूप से अतिक्रमणकारी मानते हुए आवेदकगण की पैतृक कृषि भूमि को शासकीय होने के आधार पर बेदखल किये जाने का आदेश बिना किसी सुनवाई एवं बचाव का अवसर दिये ही पारित किया जाना प्रमाणित होता है, जबकि आवेदकगण के पूर्व वर्ष 1949 से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होना पूर्णत: प्रमाणित है।

(7) आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील, जिसमें आवेदकगण द्वारा दस्तावेज भी आवेदन पत्र के साथ दिनांक 20.02.2017 को प्रस्तुत किये गये, जिससे यह तथ्य पूर्णत: प्रमाणित होता है कि विवादित कृषि भूमि पर आवेदकगण के पूर्वत वर्ष 1949 से काबिज है एवं बतौर भूस्वामी आवेदकगण के पूर्वजों का नाम वर्ष 1949 से 1995 तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा है, इसके उपरांत वर्ष 2005 तक खसरे के कॉलम नं. 12 में आवेदकगण का नाम दर्ज रहा है, किन्तु उक्त दस्तावेजों पर बिना विचार किये विवादित आदेश पारित किया है। इसलिए भी आवेदकगण का प्रकरण पूर्णत: प्रमाणित है।

(8) विवादित कृषि भूमि के संबंध में आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही विधि विपरीत होना प्रमाणित है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किये गये हैं, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार तीनों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया गया था। अत: तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का अवैध कब्जा हटाये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा यथावत् रखा गया है। इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि भू-अभिलेख में तालाब मद की होकर दर्ज है तथा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण प्रमाणित है। अत: तहसील न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई की जाकर अतिक्रमण हटाये जाने बावत् जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित एवं वैधानिक है। तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 स्थिर किया जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर